

आयलय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2025/6353
प्रार्थीगण बनाम

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 23.07.25

अप्रार्थीगण

1 कानाराम 2
रामाराम पिसरान
टीकमाराम जाति जाट
निवासी सिगोडिया
पटवार हल्का
हरखाली तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।

1 खेमाराम 2 जोराराम 3 बनाराम पिसरान जेठाराम 4 करनाराम 5
नवलाराम 6 पोकरराम पिसरान शेराराम 7 लाछी पत्नि शेराराम 8
देवाराम 9 हड़मानराम 10 प्रभूराम पिसरान ताजाराम 11 पेम्पो पत्नि
ताजाराम 12 धन्नाराम पुत्र मदरूपाराम 13 दीपाराम 14 रुगनाथराम 15
लुभाराम पिसरान धर्मराम 16 गवरी पत्नि रावताराम 17 हड़मानराम पुत्र
रावताराम जातियान जाट निवासी सिगोडिया जिला बाड़मेर। 18
अर्जुनराम 19 भूराराम 20 हीराराम 21 रावताराम पिसरान ताजाराम 22
उकाराम 23 लाभूराम पिसरान शंकराराम 24 सुखराम 25 केशाराम 26
भेराराम पिसरान भलाराम 27 रूपाराम 28 खुशालाराम 29 प्रहलादराम
पिसरान चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी हिगडो पटवार हल्का
हरखाली तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर। 30 इन्द्राराम पुत्र जवाराराम 31
गणेश कुमार 32 खरथाराम पिसरान पोकरराम 33 पोकरराम पुत्र
कोहलाराम 34 गोरखाराम 35 छगनाराम पिसरान सोनाराम 36 घेवरचंद
पुत्र गुलाबाराम 37 देवीलाल पुत्र किरताराम 38 मगाराम पुत्र भूराराम 39
नरसाराम पुत्र मंगलाराग 40 मगाराम पुत्र शेराराम जातियान मेघवाल 41
दीपाराम 42 हड़मानराम पिसरान ताजाराम निवासी भीमडा तहसील
बायतु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 255/2025

दिनांक- 09/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भीमडा पटवार क्षेत्र भीमडा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 778/203 रकबा 0.8413 हैक्टर, भूमि मौजा जोगुओ की ढाणी पटवार क्षेत्र भीमडा
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 814/574 रकबा 2.2248 हैक्टर, मौजा सिगोडिया
पटवार क्षेत्र हरखाली तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 462 रकबा 0.9465 हैक्टर, मौजा
हीगडो की ढाणी पटवार क्षेत्र हरखाली तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 632/567
रकबा 1.9319 हैक्टर, खसरा संख्या 633/567 रकबा 0.9708 हैक्टर, खसरा संख्या 642/570 रकबा
0.1618 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार
बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरगा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

दिनांक- 23.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6354-57

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा व पटवारी हरखाली तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण कानाराम पुत्र टीकमाराम वगैराह जाति जाट निवासी सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली तहसील बाटाडु
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण खेमाराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति जाट निवासी सिगोडिया पटवार हल्का हरखाली तहसील बाटाडु
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर